

<b>फर्द अहकाम</b> <b>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर</b> <b>प्रार्थी :- श्रीमती नारायणकुंवर</b> <b>किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.</b>		
<b>कार्यवाही विवरण</b>		<b>हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं</b>
<b>क्रमांक</b>	<p>दिनांक 16.12.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां व राजपैरोकार की बहस पर मनन किया।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम मोहनबाई गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2069-72, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थीयां का नाम नारायण कुंवर अंकित है। प्रार्थीयां द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें मोहनकुंवर उर्फ नारायण कुंवर को एक ही व्यक्ति होना बताकर खातीखेडा का निवासी होना बताया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीयां का नाम नारायण कुंवर होना जाहिर आया है। राजपैरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा खातीखेडा पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 4801/4, 4803/4, 5506, 5507, 5508, 5509, 5512, 5542, 5543 किता 9 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार मोहनबाई के बजाय मोहनबाई उर्फ नारायण कुंवर पिता खुमाण सिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <b>(रमेश सीरवी पुनाड़िया)</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>मावली</b> </p>	

